प्रेस विज्ञप्ति

17.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 28 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.10.2024 को मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के पार्टनर राजीव त्यागी को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट-1 (विशेष न्यायालय, पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष पेश किया गया । माननीय न्यायालय ने 24.10.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, गाजियाबाद, उसके साझेदारों और अन्य के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी के लिए भा.दं.सं., 1860 की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि राजीव त्यागी ने अपनी साझेदारी फर्म अर्थात मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, गाजियाबाद के माध्यम से अन्य सहयोगियों/गारंटरों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और बैंक (पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक और अब विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) से फर्जी/जाली दस्तावेज और गिरवी रखी गई संपत्तियों के बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करके बैंक को धोखा देने के इरादे से ऋण/वित्तीय सुविधाएं प्राप्त कीं।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि बैंक से लिए गए ऋण/वित्तीय सुविधाओं को उनके व्यक्तिगत खातों या संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के खातों के माध्यम से स्तरित/डायवर्ट/हेप्टन किया गया था, और बाद में इच्छित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिए उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण चुकौती में चूक हुई जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को भारी नुकसान हुआ।

इससे पहले, ईडी ने मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के पार्टनर राजीव त्यागी और उनके बेटों अमर्त्य राज त्यागी एवं कनिष्क राज त्यागी, मेसर्स एसकेटी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स एसके इंटरप्राइजेज के नाम पर पंजीकृत फ्लैट, वाणिज्यिक दुकान, आवासीय और औद्योगिक भूखंडों के रूप में 14.89 करोड़ रुपये की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था ।.

आगे की जांच जारी है।